दिनाँक 30 दिसम्बर, 2022 को सम्पन्न हुयी पथकर सलाहकार समिति की 33वीं बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या 15 पर बिन्दु संख्या 37 के क्रम में फतेहपुर सीकरी में गोल्फ कॉर्ट के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में फतेहपुर सीकरी पर संचालित 09 सी0एन0जी0 बसों, जिनकी कार्यअवधि दिनाँक 30 सितम्बर, 2023 तक है, का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसके दृष्टिगत वर्तमान में संचालित वाहनों के फेरे एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

फतेहपुर सीकरी स्मारक पर संचालित सी0एन0जी0 बसों का विवरण

कुल संचालित सी0एन0जी0 बसों– 09

सूर्योदय से सूर्यास्त तक 03 सी0एन0जी0 बसों द्वारा लगाये जाने वाले चक्कर (आना–जाना)	प्रातः 10:00 बजे से सूर्यास्त तक 06 बसों द्वारा लगाये जाने वाले चक्कर (आना–जाना)
10	6
10	6
10	6
	6
	6
	6
पार्किंग से दीवान–ए–आम तथा जोधाबाई गेट के कुल चक्कर= 96 औसत 16 पर्यटक कुल 1500 पर्यटक रुपया 30/– की दर से रुपया 45,000/– की आय होगी।	
अनुमानित प्रतिदिन व्यय– स्टॉफ– 10,000/–, सी0एन0जी0– 18,000/–, प्राधिकरण अंश– 3,067/–, अनुरक्षण– 8,000/–, बीमा/टैक्स/फिटनेस– 3,000/– कुल व्यय 39,000/–	
नोटः–	
1	**उक्त सी0एन0जी0 बसें सी0एन0जी0 द्वारा संचालित है तथा बसों का संचालन पर्यटकों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार कराया जाता है।**
2	**उक्त बसों को भरने में आधा घण्टे का समय लगता है।**

अवगत कराना है कि फतेहपुर सीकरी स्मारक पर प्राधिकरण द्वारा संचालित सी0एन0जी0 बसों का संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रतिमाह प्राधिकरण कोष में रुपया 92,031/– जमा कराया जाता है। समिति द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में निम्न प्रकार पर्यटक परिवहन प्रस्तावित है:–

01. फतेहपुर सीकरी में वर्तमान में पर्यटकों की संख्या 1200 से 1800 प्रतिदिन औसतन 1500 लगभग है। 14 सीटर गोल्फ कॉर्ट में औसतन 18 चक्कर प्रतिदिन लगाने की क्षमता होती है और दिन में अलग–अलग समय के औसतन 8–10 पर्यटक को आवागमन की सुविधा मिलती है। उक्त आधार पर गोल्फ कॉर्ट में 144 पर्यटक प्रतिदिन के आधार पर 1200 से 1800 पर्यटक हेतु 8.33 से 12.50 गोल्फ कॉर्ट का औसतन होता है। 02 गोल्फ कॉर्ट वी0आई0पी0 ड्यूटी संचालन में तथा 01 गोल्फ कॉर्ट आरक्षित मानते हुए यात्री क्षमता के क्रम में तत्कल 15 गोल्फ कॉर्ट की आवश्यकता होगी तथा सी0एन0जी0 बसों को हटाया जा सकता है।

02. प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि की सम्भावना को देखते हुए 02–02 गोल्फ कॉर्ट क्रय करने की आवश्यकता रहेगी, तत्क्रम में फतेहपुर सीकरी पर पर्यटकों की सुविधा हेतु आगामी 08 वर्षों में 27 नयी गोल्फ कॉर्ट हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा संचालित कराने हेतु निम्नवत् प्राविधान किये जा सकते हैं:–

01	वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा 09 सी0एन0जी0 बसों वर्ष 2007/2009 मॉडल का संचालन कराया जा रहा है। आउटसोर्स एजेन्सी को 14 सीटर डबल पॉवर फाइबर बॉडी के साथ 27 गाड़ियाँ खरीदनी होंगी, जिसमें से 15 गाड़ियाँ अनुबन्ध की औपचारिकता पूर्ण होने एवं कार्य प्रारम्भ करने के दो माह में क्रय करनी होंगी तथा अगले प्रथम

	वर्ष से लगातार 06 वर्षों तक 02–02 गाड़ियाँ क्रय करनी होंगी तथा आठवें वर्ष कोई गाड़ी क्रय नहीं की जायेगी। ऑपरेटर द्वारा प्राधिकरण की 02 सी0एन0जी0 बसों का भी संचालन एवं रख–रखाव करना होगा। प्राधिकरण की पुरानी सी0एन0जी0 बसों के संचालन की अवस्था न होने अथवा प्राधिकरण द्वारा पर्यटकों की संख्या के अनुरूप सी0एन0जी0 बसों की आवश्यकता न होने की स्थिति में प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा तथा प्राधिकरण द्वारा सी0एन0जी0 बसों को निष्प्रयोज्य करते हुए नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
02	गाड़ियों की पार्किंग व चार्जिंग स्टेशन का स्थान पर्यटन विभाग की सहमति से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कराया जायेगा। 27 गोल्फ कॉर्ट के चार्जिंग स्टेशन को आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा स्थापित किया जायेगा। बिजली का कनैक्शन प्राधिकरण के नाम से होगा व प्राधिकरण द्वारा ही स्थापित कराया जायेगा, किन्तु उसका बिल आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा देय होगा तथा प्राधिकरण की 02 सी0एन0जी0 बसों में सी0एन0जी0 की आपूर्ति आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा ली जायेगी, जिसका कोई भुगतान प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्स एजेन्सी अथवा पम्प को नहीं किया जायेगा।
03	वर्तमान में सी0एन0जी0 बस का टिकट रुपया 20/– प्रति व्यक्ति एक तरफ अथवा रुपया 30/– प्रति व्यक्ति दोनों तरफ का निर्धारित है। यह किराया इस सुविधा के प्रारम्भ होने पर, दो वर्ष तक यथावत् प्रत्येक 02 वर्षों में आगरा विकास प्राधिकरण की अनुमति से रुपया 5/– की वृद्धि की जायेगी।
04	इस कान्ट्रैक्ट की समयावधि 08 वर्ष की होगी, जिसका अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
05	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा आपूर्तित की जाने वाली गोल्फ कॉर्ट्स पर आगरा विकास प्राधिकरण का लोगो तथा पर्यटक सूचना दर आदि अन्य विवरण लगाया जायेगा तथा आगरा विकास प्राधिकरण का नाम आउटसोर्स एजेन्सी को लिखना होगा तथा गोल्फ कॉर्ट्स पर किसी प्रकार का अन्य विज्ञापन लगाने से पूर्व विभाग से लिखित अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा तथा विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। गोल्फ कॉर्ट मेंकार्पेट/सीटकवर/पेंट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
06	प्रत्येक वर्ष गाड़ी + चार्जिंग स्टेशन की फिटनेस रिपोर्ट आर0टी0ओ0 + आ0वि0प्रा0 से प्राप्त कर ही संचालन अनुमन्य होगा।
07	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर सम्पूर्ण ऑनलाईन टिकट प्रणाली एवं ऑफलाईन प्रणाली लागू की जायेगी तथा दोनों प्रणालियों का विवरण प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा।
08	चार्जिंग स्टेशन 08 वर्ष उपरान्त तथा 27 गोल्फ कॉर्ट तथा विभाग की 02 सी0एन0जी0 बसें सन्तोषजनक चालू हालत में मय चार्जिंग स्टेशन के साथ प्राधिकरण को हस्तगत की जायेगी।
09	सभी वाहन प्रतिदिन संचालित अवस्था में अनुरक्षित किया जाना आउटसोर्स एजेन्सी का दायित्व होगा।
10	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा दो शिकायत पुस्तिकायें रखनी होंगी, जिसमें फर्म के प्रतिनिधि एवं आगरा विकास प्राधिकरण के नामित अधिकारी का मोबाइल नम्बर ऑनलाईन सिस्टम की भाँति दर्ज होगा।
11	विभाग की 02 सी0एन0जी0 बस तथा 27 गोल्फ कॉर्ट वाहन 08 वर्ष उपरान्त वापिस करते समय वाहन में लगी सभी बैटरी दो वर्ष से पुरानी नहीं होंगी तथा आर0टी0ओ0 एवं आगरा विकास प्राधिकरण के संयुक्त फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर हस्तगत की जायेंगी अन्यथा परिस्थिति में बैटरी/फिटनेस की कमी की लागत आउटसोर्स एजेन्सी की जमानत धनराशि में से वसूल कर ली जायेगी।
12	आउटसोर्स एजेन्सी के पास स्वंय का गैराज, जिसमें वाहनों का अनुरक्षण हो सके, होना आवश्यक होगा।
13	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपने जिले के जिलाधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र, जो कि रुपया 20.00 लाख की हो तथा निविदा तिथि से तीन माह पुराना हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा निविदा के साथ निविदा मूल्य रुपया 11,000/– (मय जी0एस0टी0) तथा धरोहर धनराशि रुपया 25.00 लाख का भुगतान ऑनलाईन पेमेन्ट लिंक https://inducollect.indusind.com/pay/index.php के माध्यम से जमा करना होगा, जिसकी प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अपलोड नहीं किये जाने पर सम्बन्धित बोलीदाता/निविदादाता की बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर धनराशि की वापसी प्राधिकरण द्वारा निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त की जायेगी। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा धरोहर धनराशि की तत्काल वापसी हेतु कोई भी दबाव नहीं डाला जायेगा।

15	सफल आउटसोर्स एजेन्सी को रुपया 50.00 लाख की बैंक गारण्टी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो नियमानुसार 9 वर्ष के लिए उपलब्ध करानी होगी।
16	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा एजेन्सी की नेटवर्थ, जो कि रुपया 5.00 करोड़ की वार्षिक हो, की सी0ए0 द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा विगत तीन वर्षों का आई0टी0आर0 न्यूनतम धनराशि का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17	अन्य समस्त करों की देयता ऑपरेटर की होगी। उनके अनुरक्षण का समस्त दायित्व भी आउटसोर्स एजेन्सी का होगा।
18	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा प्राधिकरण की 02 सी0एन0जी0 बसों एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली समस्त गोल्फ कॉर्ट्स का अनुरक्षण, मरम्मत, टायर–ट्यूब, बैटरी सैट इत्यादि कार्य स्वयं के व्यय पर करना होगा तथा सभी वाहनों को उत्तम दशा में क्रियाशील व स्वच्छ रखा जायेगा तथा सभी गोल्फ कॉर्ट एवं सी0एन0जी0 बसों का नियमानुसार बीमा, टैक्स, फिटनेस, परमिट इत्यादि का वहन ऑपरेटर द्वारा ही किया जायेगा।
19	वाहनों के संचालन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी एवं व्यय सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी को वहन करना होगा। प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा।
20	समस्त वाहनों के संचालन के समय पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार के नुकसान/टूट–फूट की प्रतिपूर्ति आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा की जायेगी।
21	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा प्रतिदिन वाहनों को पार्किंग स्थल तक पहुँचाना, वाहनों की सुरक्षा, पार्किंग स्थल की सफाई स्वंय अपने व्यय पर करानी होगी तथा चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकतानुसार रंगाई–पुताई भी अपने व्यय पर करानी होगी।
22	सभी अपेक्षित विभागों यथा आयकर, श्रम विभाग, पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 इत्यादि विभागों में पंजीकरण, देय करों व शुल्कों का दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।
23	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा वी0आई0पी0 भ्रमण, वी0वी0आई0पी0 भ्रमण, डेलीगेशन, हैड ऑफ गर्वनमेन्ट/हैड ऑफ स्टेट, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/सचिव/अनुभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
24	समस्त वाहनों के संचालन से प्राप्त होने वाली आय आउटसोर्स एजेन्सी की होगी, जिसमें से अनुबन्ध के अनुसार लाईसेन्स फीस प्राधिकरण को देय होगी।
25	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा फतेहपुर सीकरी स्मारक के प्रतिबन्धित क्षेत्र के दृष्टिगत मा0 न्यायालयों/शासन/प्रशासन/आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पारित समस्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अनुपालन सुनिश्चित न करने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ऑपरेटर की होगी।
26	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा वाहनों का संचालन पार्किंग स्थल से प्रतिदिन फतेहपुर सीकरी टिकिट विण्डो खुलने से एक घण्टा पूर्व एवं स्मारक बन्द होने से एक घण्टे के पश्चात् तक किया जायेगा। संचालन उपरान्त समस्त वाहनों को पार्किंग स्थल पर सुरक्षित खड़ा करना होगा।
27	शर्तों का उल्लंघन करने पर रुपया 5,000/– का अर्थदण्ड अरोपित किया जायेगा तथा पुनरावृत्ति होने पर रुपया 10,000/– से रुपया 1,00,000/– का अर्थदण्ड प्रति गलती पर आरोपित किया जायेगा, जो आउटसोर्स एजेन्सी को मान्य होगा। अर्थदण्ड जमा न करने पर जमानत धनराशि को जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का होगा।
28	सफल आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा प्राधिकरण द्वारा पत्र जारी करने के सात दिवस में स्टॉम्प विभाग के नियमों के अनुसार स्टॉम्प जमा कर प्राधिकरण से अनुबन्ध निष्पादित कराया जायेगा। अनुबन्ध निष्पादित कराने में विलम्ब करने की स्थिति में आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा निविदा के समय जमा की गयी धरोहर धनराशि को जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का होगा।
29	किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर समस्त प्रतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति आदि का दायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का होगा।
30	कर्मचारियों का आचरण एवं व्यवहार सन्तोषजनक न होने की दशा में बिना किसी सूचना के कार्य से हटाने का

	अधिकार प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा।
31	कर्मचारियों के कार्य का समय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बताये गये निर्देशानुसार निर्धारित किया जायेगा। कर्मचारी सभी प्राधिकरण से अनुमोदित वर्दी एवं नेम प्लेट में ही कार्यरत रहेंगे, जिसकी व्यवस्था आउटसोर्स एजेन्सी का दायित्व होगा।
32	कार्य की आवश्यकता/औचित्य के दृष्टिगत अनुबन्ध को किसी भी समय समाप्त किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष में निहित होगा।
33	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं किया जायेगा, जिसका प्राधिकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
34	सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी को आपूर्ति किये जाने वाले समस्त स्टाफ का नाम/पता, आधार की फोटोप्रति उपलब्ध करानी होगी तथा स्टॉफ परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तित स्टॉफ की उपरोक्त सूचना प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी। आवश्यकतानुसार स्टॉफ का पुलिस सत्यापन भी कराना होगा।
35	सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी को प्रत्येक स्टाफ को राज्य/केन्द्र शासनादेशों के अनुरूप न्यूनतम वेतन/भत्ते देते हुये अन्य निर्धारित श्रम नियमों का अनुपालन करना होगा।
36	किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित है।
37	किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण एक मात्र विचारक होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
38	जी0एस0टी0 या अन्य समस्त देय करों, उपकरों का भुगतान सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि सी0एन0जी0 बसों के आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालन की समयावधि दिनाँक 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त हो रही है तथा दिनाँक 30 सितम्बर, 2023 तक संचालित करायी जा रहीं सी0एन0जी0 बसों की फिटनेस एवं परमिट की अवधि निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	सी0एन0जी0 बस संख्या	मॉडल	पंजीकरण तिथि	फिटनेस अवधि	फिटनेस एन0आई0डी0 अवधि	परमिट अवधि
1	यूपी80बीए-9419	2007	04-12-2007	31-03-2023	06-04-2023	21-03-2026
2	यूपी80बीए-9420	2007	04-12-2007	31-03-2023	06-04-2023	21-03-2026
3	यूपी80बीए-9421	2007	04-12-2007	29-03-2023	04-04-2023	21-03-2026
4	यूपी80बीए-9423	2007	04-12-2007	29-03-2023	04-04-2023	21-03-2026
5	यूपी80बीजे-9562	2007	25-08-2009	30-11-2023	24-11-2023	21-01-2026
6	यूपी80बीके-9080	2007	16-10-2009	30-11-2023	24-11-2023	21-01-2026
7	यूपी80बीके-9378	2007	06-11-2009	26-02-2024	20-02-2024	30-08-2025
8	यूपी80बीके-9379	2007	06-11-2009	26-02-2024	20-02-2024	30-08-2025
9	यूपी80बीके-9403	2007	09-11-2009	26-02-2025	20-02-2024	30-08-2025

नवीन आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने पर प्राधिकरण द्वारा संचालित 07 सी0एन0जी0 बसों को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए सम्भागीय परिवहन कार्यालय से आरक्षित मूल्य निर्धारित कराते हुए नीलामी कर दी जायेगी, जिसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। 02 सी0एन0जी0 बसों को उनकी आयु की 15 वर्ष की अवधि तक का समस्त देयता के साथ संचालन करना आउटसोर्सिंग एजेन्सी का दायित्व होगा।

फतेहपुर सीकरी पर पर्यटकों की सुविधा हेतु 27 नयी गोल्फ कॉर्ट हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा संचालित करने हेतु लाईसेन्स फीस का निर्धारण सी0एन0जी0 बसों के वर्तमान संचालन अनुसार निम्नवत् प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र0सं0	विवरण	अनुमानित आंकलन प्रतिदिन
01	**प्राधिकरण की 02 सी0एन0जी0 बसों एवं आउटसोर्स**	रुपया 18,500/-

	एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली नयी गोल्फ कॉर्ट क्रय करने पर अनुमानित 38 स्टॉफ पर व्यय	
02	**प्राधिकरण की 02 सी0एन0जी0 बसों सी0एन0जी0**	रुपया 4,000/–
	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली नयी गोल्फ कॉर्ट पर अनुमानित विद्युत बिल	रुपया 5,600/–
03	**प्राधिकरण की 02 सी0एन0जी0 बसों एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली नयी गोल्फ कॉर्ट पर अनुमानित प्राधिकरण अंश**	रुपया 10,000/–
04	**प्राधिकरण की 02 सी0एन0जी0 बसों एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली नयी गोल्फ कॉर्ट पर अनुमानित अनुरक्षण**	रुपया 26,000/–
	कुल व्यय	**रुपया 64,100/–**
05	**वर्तमान में संचालित 02 सी0एन0जी0 बसों से औसत 16 पर्यटक प्रतिदिन 06 चक्कर दर रुपया 30/– से प्राप्त होने वाली आय**	रुपया 5,760/–
06	**आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली 27 नयी गोल्फ कॉर्ट से औसत 08 पर्यटक प्रतिदिन 10 चक्कर दर रुपया 30/– से प्राप्त होने वाली आय**	रुपया 64,800/–
07	**वर्तमान में संचालित 02 सी0एन0जी0 बसों एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली 27 नयी गोल्फ कॉर्ट से कुल आय**	रुपया 70,560/–
08	**कुल प्रतिदिन आय में से कुल प्रतिदिन व्यय को घटाते हुए लाईसेन्स फीस**	रुपया 70,560/– – रुपया 64,100/–= रुपया 6,960/– पूर्णांक में रुपया 7,000/– प्रतिदिन
09	**कुल लाईसेन्स फीस**	**रुपया 7,000/– प्रतिदिन X 30 दिन = रुपया 2,10,000/–**

उक्तानुसार रुपया 2,10,000/– प्रतिमाह लाईसेन्स फीस निर्धारित किया जाना उचित होगा। गोल्फ कॉर्ट/सी0एन0जी0 के संचालन में वर्तमान में निर्धारित दरें पृथक–पृथक बस के लिए रुपया 20/– (एक तरफ) तथा आने जाने हेतु रुपया 30/– तीन व चार वर्ष के लिए क्रमशः रुपया 25/– व 40/–, चार व पाँच वर्ष के लिए रुपया 30/– व 50/– एवं सात वर्ष के लिए रुपया 35/– व 60/–प्रस्तावित है। इसी के सापेक्ष लाईसेन्स फीस में निम्नानुसार वृद्धि प्रस्तावित है:–

क्र.सं.	वर्ष	टिकट दर	टिकट दर में वृद्धि	लाईसेन्स फीस में वृद्धि
1	प्रथम व द्वितीय	20.00	—	—
2	तृतीय व चतुर्थ	25.00	25 प्रतिशत	15 प्रतिशत
3	पंचम व षष्टम	30.00	50 प्रतिशत	30 प्रतिशत
4	सप्तम	35.00	75 प्रतिशत	55 प्रतिशत

नोट– लाईसेन्स फीस के दृष्टिगत टिकट दर में संचालन व्यय के सापेक्ष ही वृद्धि प्रस्तावित की गयी है।

फतेहपुर सीकरी में आने वाले पर्यटकों एवं दरगाह के यात्रियों के लिए पर्यटक के परिवहन हेतु प्राधिकरण की 02 सी0एन0जी0 बसों के आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाईसेन्स फीस पद्धति पर संचालित कराने तथा आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा 27 नयी गोल्फ कॉर्ट क्रय कर उनका अनुरक्षण/संचालन कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें प्राधिकरण की

07 सी0एन0जी0 बसें दिनाँक 30 सितम्बर, 2023 तक तथा शेष 02 बसें संचालन अवधि 15 वर्ष पूर्ण कर लेने पर निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम कर दी जायेंगी एवं गोल्फ कॉर्ट का संचालन यात्रि परिवहन के लिए होता रहेगा। यहाँ यह भी प्रस्तावित है कि उक्त कार्य की ई–निविदा/सह नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये तथा सफल आउटसोर्सिंग एजेन्सी को दिनाँक 01 अक्टूबर, 2023 से 15 नयी गोल्फ कॉर्ट क्रय कर संचालन प्रारम्भ करने एवं प्राधिकरण की 07 सी0एन0जी0 बसों को आयु पूर्ण होने के दृष्टिगत निष्प्रयोज्य नीलाम कर दिया जाये तथा 02 सी0एन0जी0 बसों को सफल आउटसोर्सिंग एजेन्सी को संचालन हेतु दे दिया जाये।

उपरोक्त प्रस्तावना के क्रम में प्रस्तुत है कि पथकर सलाहकार समिति की 33वीं बैठक दिनाँक 30 दिसम्बर, 2022 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 37 पर निम्न प्रस्ताव **"फतेहपुर सीकरी में भी गोल्फ कॉर्ट की सुविधा प्रारम्भ किया जाना उपयोगी होगा। वर्तमान में यहाँ बैटरी/सीएनजी बसों का संचालन किया जाता है। इसके स्थान पर पर्याप्त संख्या में यूनेस्को विश्वदाय स्मारक फतेहपुर सीकरी पर थीम आधारित गोल्फ कॉर्ट का संचालन पर निर्णय लिया जाना संस्तुत है।"**, जिस पर समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया जा चुका है "**समिति द्वारा प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**"।

उपरोक्त के क्रम में निम्न प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैः–

01. आगामी 08 वर्षों में 15+2x6=27 गोल्फ कॉर्ट क्रय करने तथा आगामी लगभग 01 वर्ष तक 02 सी0एन0जी0 बसों को पर्यटकों की सुविधा हेतु लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालित कराया जाना।

02. उपरोक्त गणना के आधार पर लाईसेन्स फीस रुपया 2,10,000/– प्रतिमाह आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाना।

03. उपरोक्त कार्य की ई–निविदा/सह नीलामी के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन आमंत्रित कराया जाना।

04. उपरोक्त कार्य की ई–निविदा/सह नीलामी आमंत्रित कर कार्यादेश जारी कर दिया जाये, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य कर रही फर्म की कार्यावधि दिनाँक 30 सितम्बर, 2023 समाप्त होने के उपरान्त आउटसोर्सिंग एजेन्सी फर्म द्वारा दिनाँक 01 अक्टूबर, 2023 से संचालन प्रारम्भ किया जाये।

05. उपरोक्त 07 सी0एन0जी0 बसों की आयु पूर्ण होने पर निष्प्रयोज्य करते हुए आर0टी0ओ0 से मूल्यांकित कराते हुए नीलामी की कार्यवाही की जाये।

06. 02 सी0एन0जी0 बसों की 2024 में आयु पूर्ण होने के उपरान्त उनको भी निष्प्रयोज्य करते हुए नीलामी की कार्यवाही कर निस्तारण किया जाये।

07. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का दायित्व सम्बन्धित विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर स्थापित कराने का दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।